

**ग्राम पंचायत भटेर वासा, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के लेखाओं
का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017**

1 प्रस्तावना (क) :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2017 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भटेर वासा, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

- | | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | श्री जोगिन्दर कुमार | 1-4-2014 से 22-1-2016 |
| 2 | श्रीमति रेशमा शर्मा | 23-1-2016 से लगातार |

सचिव :-

- | | | |
|---|-------------------|------------------------|
| 1 | श्री राकेश सिंह | 1-4-2014 से 7-12-2016 |
| 2 | श्रीमति भोलू देवी | 8-12-2016 से 31-3-2017 |

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत भटेर वासा के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹ (लाखों में)
1	8	अनुदान का उपयोग न करना	7.44
2	10	IWMP अनुदान से स्वयं सहायता समूह को भुगतान की गयी चक्रीय राशि की वसूली करने बारे	0.75

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत भटेर वासा, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 9-8-2017 से 17-8-2017 तक ग्राम पंचायत भटेर वासा में किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	2/2015	10/2014
2015-16	8/2015	7/2015
2016-17	6/2016	7/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत भटेर वासा, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 206/2017 दिनांक 17-8-2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भटेर वासा से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत भटेर वासा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) स्व स्रौत :- ग्राम पंचायत भटेर वासा के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	111465.50	49745	161210.50	20411	140799.50
2015-16	140799.50	26229	167028.50	31648	135380.50
2016-17	135380.50	54838	190218.50	15092	175126.50

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत भटेर वासा के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	754500.50	965049	1719549.50	1148319	571230.50
2015-16	571230.50	1216860	1788090.50	1403828	384262.50
2016-17	384262.50	1041961	1426223.50	682047	744176.50

5 बैंक समाधान विवरणी :-

1	रोकड़ वहि खाता क पैरा 4 (1) का अन्तशेष	175126.50
2	रोकड़ वहि खाता ख पैरा 4 (2) का अन्तशेष	744176.50

योग 919303

दिनांक 31-03-2017 को बैंक मे जमा व हस्तगत राशि का विवरण निम्नानुसार था।

क्र. संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	KCCB DEHRA	20008005795	340822
2	KCCB DEHRA	50055744386	409
3	KCCB DEHRA	50055744364	490027
4	KCCB DEHRA	50055695440	972
5	PNB HARIPUR	686000105143808	21392.50
6	PNB HARIPUR	686000105143817	65697
	CASH IN	(I) IWMP	39.00
	HAND	(II) GENERAL CASH BOOK	7.50
		योग	919303

6 निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार /अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

7 गृहकर के अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित्त बजट लेखे संकर्म कराधान व भत्ते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अतः गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 अनुदान ₹7.44 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना

(परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹744176 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

9 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उद्देश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

10 IWMP अनुदान से स्वयं सहायता समूह को भुगतान की गयी चक्रीय ₹0.75 लाख के भुगतान बारे :---

ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को निम्नानुसार ₹75000 भुगतान की गयी जिसे उनके साथ किये गये अनुबंध के अनुसार स्वयं सहायता समूहों से 18 मास में वापिस लिया जाना है। अतः यह राशि निश्चित समयावधि में वापिस लेनी सुनिश्चित की जाए।

वाउचर संख्या	मास	स्वयं सहायता समूह का नाम	राशि
5	7/2016	स्वयं सहायता समूह ज्योति	25000
6	7/2016	स्वयं सहायता समूह शारदा	25000
7	8/2016	स्वयं सहायता समूह रिधी	25000
TOTAL			75000

11 मनरेगा निर्माण कार्यों के सम्पत्ति (ASSET) रजिस्टर का रख रखाव उचित प्रकार से न करना--

ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत करवाए गये कार्यों का सम्पत्ति (asset) रजिस्टर लगाया गया है परन्तु इसका रख रखाव उचित प्रकार से नहीं किया गया। Asset रजिस्टर में कुशल, अकुशल मजदूरों, निर्माण कार्य में प्रयोग की गयी मदों के क्रय पर किये गये व्यय का पूर्ण विवरण दर्ज नहीं किया गया है। अतः Asset रजिस्टर को अब पूर्ण करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

12 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
3	मांग एवम् प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95 (1)

अतः इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

14 लघु आपत्ति विवरणिका:-

इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

15 निष्कर्ष :- लेखाओं का रख रखाव सन्तोषजनक पाया गया ।

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620046

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)123 / 2017 खण्ड-1-507-510 दिनांक 17.01.2018
शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0प्र0
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत भटेर वासा, विकास खण्ड देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620046